

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वाणिज्यिक कर विभाग**  
**:: मंत्रालय ::**  
**महानदी भवन, नवा रायपुर**  
**//आदेश//**

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 30/12/2022

क्रमांक एफ 6-17/2022/वाक./पांच-राज्य शासन एतद्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर, वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को राज्य कर संयुक्त आयुक्त से राज्य कर अपर आयुक्त के पद पर, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल 15 (वेतन बैंड रूपये 37400-67000 + ग्रेड वेतन रूपये 8700) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, पदोन्नत करते हुए उन्हें, नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के समक्ष कॉलम-4 में दर्शाये स्थान पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :-

क.	राज्य कर संयुक्त आयुक्त का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती नीलिमा तिग्गा	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, रायपुर संभाग क्रमांक-दो, रायपुर	राज्य कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, नवा रायपुर
2	श्री एच.एल. हिड़को	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, दुर्ग संभाग	राज्य कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, नवा रायपुर
3	श्री टी.आर. धुर्वे	राज्य कर मुख्यालय, नवा रायपुर	राज्य कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, नवा रायपुर

2/ उक्त आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका W.P.(S) No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & another एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 S. Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & another में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।

3/ उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

*M8*  
*30.12.22*  
(मनोज कुमार मिश्रा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

*u* वाणिज्यिक कर विभाग

पृष्ठां.क्र.एफ 6-17/2022/वाक./पांच नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /12/2022

प्रतिलिपि :-

- (1) महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
- (2) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, वाणिज्यिक कर, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
- (3) स्टॉफ ऑफिसर, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
- (4) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर उनके पत्र क्रं. 2381/108/2022/जी.एस., दिनांक 29.12.2022 के संदर्भ में।
- (5) आयुक्त, राज्य कर, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
- (6) राज्य कर विशेष आयुक्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

क्रमश.....